

पत्रांक 1857 / विधि-अनु० / आयु०क०उत्तरा० / वाणि०कर० / 09-10 / दे०दून।
कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि -अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक :: ६ अगस्त 09

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि०)वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,

शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 570/2009/141
(120)XXVII(8) /2008/दिनांक 06.08.2009 के द्वारा उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य
वर्धित कर अधिनियम, 2005)अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007(अधिनियम
संख्या 27 वर्ष 2005)की धारा-4 की उपधारा-(4) सपटित उ०प्र०साधारण खण्ड
अधिनियम, 1904 की धारा-21 के तहत उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर
अधिनियम,2005 की अनुसूची-I तथा अनुसूची-II(क) में संशोधन की है। शासन
के उक्त पत्र की छाया प्रति इस आशय से प्रेषित है कि शासन के दिशा
निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
संलग्न -उपरोक्तानुसार।

(वी०के०सक्सेना)

अपर आयुक्त, कर,
उत्तराखण्ड

पृ०प०सं० 1857/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
- 3- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन
रूद्रपुर।
- 5- एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 6- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य०) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/
हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त
प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के
पदाधिकारियों/ व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का
कष्ट करें।

—2—

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
सं० /2009/141(120)/XXVII(8)/2008
दिनांक: देहरादून :: ०६ अगस्त, 2009

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) संपटित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 तथा अनुसूची-11(क) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

(क) अनुसूची-1 के क्रमांक 70 की विद्यमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी; अर्थात्-

"71. आटा, मैदा, सूजी तथा बेसन।"

(ख) अनुसूची-11(क) की क्रमांक 4 की विद्यमान प्रविष्टि में से शब्द आटा, मैदा, सूजी तथा बेसन हटा दिये जायेंगे।

- (आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० 57०/XXVII(8)/वाणिज्य कर(वैट)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाईल हेतु/ एन०आई०सी०।

आज्ञा से,
C. S. Kumar
(सी०एस०सेमवाल)
अपर सचिव, वित्त.

New Vigyanpur (Palnau) D1